न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या–04/2022

अमेरिका मांझी उर्फ अमरिका मांझी

बनाम्

चन्दन पासवान वगैरह

—: आदेश :—

14.12.

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अमेरिका मांझी उर्फ अमरीका मांझी, पिता– स्व0 बुधु मांझी, सा0– मनिका, थाना– मनिका, जिला– लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता चन्दन पासवान व नन्दन कुमार पासवान दोनों पिता– त्रिभुवन पासवान, सा0– मनिका, थाना– मनिका, जिला– लातेहार के साथ मौजा–मनिका, खाता संख्या–204, प्लॉट संख्या– 935 रकबा– 0.27 ए0 एवं खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या– 929 रकबा– $0.49\frac{1}{2}$ ए0 कुल रकबा–$0.76\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक–66 दिनांक 09.03.2022 एवं पत्रांक 161 दिनांक 04.08.2022 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

भूमि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि खाता संख्या–11,प्लॉट संख्या–929, रकबा–0.60 एकड़ का डिमाण्ड आवेदक अमेरिका मांझी के नाम से चल रहा है एवं लगान रसीद निर्गत है तथा खाता संख्या–204, प्लॉट संख्या–935, रकबा–0.54 एकड़ का डिमाण्ड बुधू मांझी के नाम से चल रहा है एवं लगान रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक 161 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक अमेरिका मांझी का एक और भाई है, जो लकवा ग्रस्त है, जिसका नाम कमेश मांझी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदक अमेरिका मांझी के नाम से केवल खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–929, रकबा–0.60 एकड़ का

डिमाण्ड चल रहा है, जबकि उनके द्वारा कुल रकबा–0.76$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि की बिक्री के लिए आवेदन समर्पित किया गया है, जो कि उनके नाम से धारित भूमि से अधिक है। अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/12/

उपायुक्त, लातेहार।

14/12/

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.02.01 16:17:16 +05:30
Location: 192.168.244.97